

अनुदान संख्या 66 - समुद्रपार भारतीय मामले मंत्रालय
GRANT No. 66-MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	32,00,00	17,25,16	-14,74,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			14,86,94
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	3,00,00	20,73	-2,79,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,79,27

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि(1486.94 लाख रु.) 1474.84 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.1486.94 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.1474.84 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

	शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	2000.00			
पु.	R.	-1248.43			
			751.57	777.81	+26.24
मुख्य शीर्ष "2061" विदेश मामले	Major Head "2061" External Affairs				
मू.	O.	1200.00			
पु.	R.	-238.51			
			961.49	947.35	-14.14

(I) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - समुद्रपार भारतीय मामले मंत्रालय" के अंतर्गत 1123.11 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें"- 198.39 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अन्य व्यय - अन्य स्कीमें"- 439.87 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें मंत्रालय के अभी गठनात्मक चरण में होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 197.28 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत और 99 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (500.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2061" - "अन्य व्यय - प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन" के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 483.81 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(I) Under Major Head "2052" - "Secretariat-Ministry of Overseas Indian Affairs" - saving of Rs.1123.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs);

(II) Under Major Head "2061" - savings occurred under the following heads:-

(A) "International Conferences/Meetings - International Conferences/Meetings" - saving of Rs.198.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs); and

(B) "Other Expenditure - Other Schemes" - saving of Rs.439.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to the Ministry still being at formative stage.

(III) Under two heads savings of Rs.197.28 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 98 percent and 99 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.500.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2061"- "Other Expenditure - Celebration of Pravasi Bhartiya Divas". Actual excess, however, was Rs.483.81 lakhs.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय	बचत-
			Actual expenditure	Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)	
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	300.00	20.73	20.73
पु.	R.	-279.27		

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - प्रवासी भारतीय केंद्र" के अंतर्गत 279.27 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनागत क्रियाकलापों को आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Constructions - Pravasi Bhartiya Kendra" - saving of Rs.279.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to deferment of planned activities.